बिहार सरकार
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक-प्र06कि0आ0-50/02 447 /आ0वा0,पटना-15, दिनांक - 2-2-07

प्रेषक,

सुरेश कुमार वर्मा
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।
विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना ।

विषयः- मुखिया/सरपंच, वार्ड सदस्यों, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के सदस्यों के अनुरूप नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम के निर्वाचित वार्ड आयुक्त, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं उनके परिवार के सदस्यों के जनवितरण प्रणाली, ठेला भेण्डर तथा किरासन तेल आदि के खुदरा एवं थोक अनुज्ञप्ति के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक् विभागीय पत्रांक-5107 दिनांक-06.12.2001, 1543 दिनांक-04.04.02, 3281 दिनांक-06.08.2002,एवं 5043,दिनांक-21.12.02 द्वारा निर्गत परिपत्रों के आलोक में सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा जनवितरण प्रणाली एवं ठेला भेण्डर अनुज्ञप्तिधारियों की भांति विषयांकित पद के निर्वाचित सदस्यों एवं उनके परिवार के नाम किरासन तेल आदि के थोक अनुज्ञप्तिधारी हैं तो उनके अनुज्ञप्ति के एकरारनामा को उनके कार्यकाल तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया था ।

कुछ थोक किरासन विक्रेताओं ने स्वयं या उनके परिवार के सदस्य द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के विषयांकित पद पर निर्वाचित होने के उपरान्त विभागीय पत्रांक-3281 दिनांक - 06.08.2002 को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0 - 9944/2002, 9945, 9947, 13061/2002 एवं 515/2003 दायर किया गया । माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने उक्त संबंधित वाद में समेकित रूप से दिनांक-09.05.2003 को पारित आदेश की कंडिका-34 में विभागीय पत्रांक-3281 दिनांक-06.08.2002 को निरस्त कर दिया गया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि निर्गत पत्र के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम की अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति एकीकरण आदेश अथवा भारत सरकार द्वारा थोक किरासन विक्रेताओं के चयन हेतु गठित समिति के मार्गदर्शक निदेशों में आवश्यक संशोधन कराने का निर्देश है ।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संबंधित वाद में पारित न्यायादेश के आलोक में पूर्व में निर्गत प्रासंगिक विभागीय परिपत्रों की परिधि से थोक किरासन विक्रेता को अगले आदेश तक के लिए अलग किया जाता है, लेकिन जनवितरण प्रणाली विक्रेता एवं ठेला भेण्डर अनुज्ञप्तिधारी के लिए निर्गत परिपत्र यथावत रहेंगे ।

विश्वासभाजन
2.2.07
संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 447 /आ0वा0,पटना-15, दिनांक - 2-2-07

प्रतिलिपिः- सभी उपनिदेशक, खाद्य / अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2.2.07
संयुक्त सचिव ।